Witness No 13 **for** अभियोजन साक्षी **Deposition taken**

the 05.01.2019 **day of** **Witness's apparent age** 49 वर्ष

States on affirmation शपथ पूर्वक **my name is** डॉ. नीता कर्णावट

son of श्री डॉ. अनिल कर्णावट **occupation** मेडिकल आफिसर

address डॉ. भीमराव अम्बेडकर अस्पताल रायपुर (छ.ग.)

मुख्यपरीक्षण द्वारा श्री जे.एम.राजिमवाले अपर लोक अभियोजक वास्ते अभियोजन

01. मै जून 2006 से डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर में मेडिकल आफिसर के पद पर पदस्थ हूं।

02. दिनांक 30.10.2017 को रात्रि 11:12 बजे जब मै अपनी डयुटी पर थी तब थाना आजाद चौक के आरक्षक बी0एन0 नेताम क्र0 404 द्वारा आहत सोनूदास मानिकपुरी, पिता सुखदास, उम्र–18 वर्ष निवासी आमापारा शीतला मंदिर, रायपुर को ईलाज एवं परीक्षण हेतु मेरे समक्ष लाया गया था।

03. परीक्षण करने पर मैने निम्नलिखित चोटें पाई थी – **01.** बायें कंधे पर 2 सेमी x 0. 5 सेमी का स्टेब वुण्ड था। **02.** पेट के बायीं तरफ 1.5 सेमी ग 0.5 सेमी स्टेब वुण्ड था।

उपरोक्त दोनों चोटें कड़े एवं धारदार वस्तु से आ सकती थी। मरीज के घाव से खून बह रहा था। मैने उसे आगे परीक्षण, जांच, उपचार एवं अभिमत के लिए अस्थि रोग विभाग, सर्जरी एवं प्लास्टिक सर्जरी विभाग में रिफर किया था।

04. मेरे द्वारा दी गई एम0एल0सी0 रिपोर्ट प्रपी–17 है, जिसके अ से अ भाग पर मेरा हस्ताक्षर है।

05. दिनांक 22.12.2017 को दोपहर डेढ़ बजे थाना आजाद चौके स0उ0नि0 डी0डी0वर्मा द्वारा सोनूदास मानिकपुरी पिता सुखदास, उम्र 18 वर्ष निवासी आमापारा के एम0एल0सी0 रिपोर्ट के संदर्भ में दो सीलबंद पैकेट मेरे समक्ष जांच हेतु लाया गया था। पहले पैकेट को खोलने पर उसमें भूरे रंग का एक पेन्ट था, जिसकी लंबाई 86 सेमी थी। जिस पर कुछ दाग दिखाई दे रहे थे। थाना द्वारा क्वेरी चाही गई थी कि क्या उक्त दाग मानव रक्त के दाग है ? जिस संबंध में मेरे द्वारा रासायनिक जांच कराये जाने की सलाह दी गई थी। दूसरे पैकेट को खोलने पर एक फटा हुआ लाल, काला, क्रिम और धुल के रंग का चेक वाला शर्ट था, जिस पर कुछ धब्बे लगे हुए थे। थाने द्वारा क्वेरी चाही गई थी कि क्या उक्त दाग मानव रक्त के तथा किस ग्रुप के है है ? जिस संबंध में मेरे द्वारा रासायनिक जांच कराये जाने की सलाह दी गई थी।

06. परीक्षण उपरांत उक्त वस्तुओं को वापस सीलबंद कर उपरोक्त स0उ0नि0 को वापस किया था।

07. उक्त वस्तुएं क्वेरी रिपोर्ट हेतु जिस आवेदन के साथ मेरे समक्ष लाया गया था, वह आवेदन प्रपी–18 है तथा मेरे द्वारा दी गई क्वेरी रिपोर्ट प्रपी–18 पृष्ठ भाग पर है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

08. दिनांक 22.12.2017 को 01:20 बजे आजाद चौक के स0उ0नि0 डी0डी0वर्मा के द्वारा आहत के एम0एल0सी0 रिपोर्ट के संदर्भ में एक अन्य सीलबंद पैकेट मेरे समक्ष जांच हेतु लाया गया था। पैकेट को खोलने पर उसमें मैने एक स्टील का चाकू पाया। जिसका मूठ काले रंग का प्लास्टिक का था। मूठ की कुल लंबाई 9 सेमी, फल की लंबाई 14.03 सेमी थी। चाकू का फल एक तरफ नुकिला था, जिसकी एक सतह भोथरी थी तथा दूसरी सतह धारदार तथा उसका मध्य दांतदार था।

थाने द्वारा क्वेरी चाही गई थी कि :–

अ. क्या उक्त चाकू से आहत को आई हुई चोटें पहुंचाई जा सकती है ? जिस संदर्भ में मैने अभिमत दिया था कि हां आहत को चोटे पहुंचाई जा सकती है।

ब. क्या उक्त चाकू से यदि चोंट आहत के कमर के बजाय सीने या पेट पर पहुंचायी जाती तो क्या उसकी जान जा सकती है ? जिसका मेरे द्वारा अभिमत दिया गया था कि उक्त क्वेरी का उत्तर संबंधित विशेषज्ञ से प्राप्त करें।

स. क्या उक्त चाकू से अधिक गहराई तक चोंट पहुंचाने पर आहत की जान जा सकती है ? जिस संदर्भ में मेरे द्वारा अभिमत दिया गया कि संबंधित विशेषज्ञ से राय प्राप्त करें।

द. क्या उक्त चाकू में लगा लाल धब्बा मानव रक्त है एवं ग्रुप क्या है ? जिस पर मैने रासायनिक परीक्षण की सलाह दी गई थी।

09. परीक्षण उपरांत उक्त चाकू को सीलबंद कर अपनी रिपोर्ट सहित संबंधित स0उ0नि0 के सुपुर्द किया था।

10. उक्त चाकू परीक्षण हेतु जिस आवेदन के साथ मेरे समक्ष लाया गया था, वह आवेदन प्रपी–19 है, जिसके पृष्ठ भाग पर मेरे द्वारा क्वेरी रिपोर्ट दी गई है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री ए0के0सेन अधिवक्ता वास्ते आरोपी</u>

11. यह कहना सहीं है कि मैने आहत का कोई उपचार नहीं किया था, उपचार हेतु उसे संबंधित विभाग को रिफर कर दिया था। यह कहना सहीं है कि प्रपी–17 में चोंट की गहराई का माप मैने उल्लेखित नहीं किया है। यह कहना सहीं है कि प्रपी–19 के पृष्ठ

भाग पर चाकू के अक्स में मैने किसी प्रकार से कोई दाग धब्बे चिन्हांकित नहीं किया है। मैने उक्त चाकू में कोई दाग धब्बे नहीं पाया था, इसलिए चिन्हांकित नहीं किया है। यह कहना सहीं है कि मैने चाकू के फल की चौड़ाई का उल्लेख नहीं किया है।

12. यइ कहना गलत है कि ढाई सेमी चौड़ाई वाले चाकू से प्रहार करने पर प्रपी–17 में जो घाव की चौड़ाई बताई गई है वैसी चोटें नहीं आ सकती है। यह कहना सहीं है कि मैने प्रपी–17 में चोंट क0 1 एवं 2 के घाव की चौड़ाई 0.5 सेमी बताई है। यह कहना गलत है कि मै आज न्यायालय के समक्ष गलत अभिमत दे रही हूं। यह कहना सहीं है कि मुझसे प्रपी–19 का क्वेरी रिपोर्ट संभावनाओं के आधार पर पुछी गई है। यह कहना गलत है कि मैने संभावनाओं और उपधारणाओं के आधार पर प्रपी–19 की रिपोर्ट दी है। यह कहना सहीं है कि किसी चाकू से घोपकर चोंट पहुंचाने पर चाकू के फल पर खून के धब्बे आयेंगे। यह कहना गलत है कि मैने गलत आधार पर प्रपी–19 की रिपोर्ट दी है।

समय : 01:15 से 02:00 बजे

साक्षी को पढ़कर सुनाया गया,
सही होना स्वीकार किया।

सही/–

राजेन्द्र कुमार वर्मा
अष्टम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
रायपुर (छ0ग0)

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

सही/–

राजेन्द्र कुमार वर्मा
अष्टम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
रायपुर (छ0ग0)

साक्षी का हस्ताक्षर .....**सही/–**.....